न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023 / 268
दायरा तिथि : 18.10.2023
आदेश तिथि : 02-04-2024
प्रार्थी :–

श्रीमति सविता सिंघल पत्नि अजय सिंघल जाति अग्रवाल निवासी संजय बाबा स्टोर, सानी गांव, माउण्ट आबु जिला सिरोही (राज.)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. अनिमेष सिंघल पुत्र संजय सिंघल जाति अग्रवाल निवासी माउण्ट आबु जिला पाली (राज.)
2. विधी सिंघल पुत्री संजय सिंघल जाति अग्रवाल निवासी गोवा
3. संजय सिंघल पुत्र नानगराम जाति अग्रवाल निवासी आबूरोड
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 08-04-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 1022 / 303 रकबा 0.3696 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से ओबू पत्नी सोनाराम वगैरा की भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार के खसरा नंबर 1024 / 303 रकबा 4.1100 हैक्टर, खसरा नंबर 1023 / 303 रकबा 3.6940 हैक्टर, खसरा नंबर 305 / 937 रकबा 1.0000 हैक्टर एवं खसरा नंबर 298 रकबा 57.6000 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर पत्रांक / राजस्व / 2024 / 1736 दिनांक 25.01.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, नाना की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 1022 / 303 रकबा 0.3696 हैक्टर भूमि प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान में इसी रास्ते से होकर आवागमन होता है।
2. यह है कि आवेदक वर्तमान में ग्राम वेलार के खसरा नंबर 295, 1024 / 303, रकबा 4.1100 हैक्टर में से नही होकर खसरा नंबर 1031 / 303 व 1032 / 803 से आवागमन करते है। खातेदार द्वारा आवेदित रास्ते हतु खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	298	57.6000 हैक्टर	बारानी सोयम	412X09= 3708 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	305 / 937	1.0000 हैक्टर	बारानी सोयम	118X09= 1062 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
3	1023 / 303	3.6940 हैक्टर	बारानी सोयम	196X09= 1764 वर्गमीटर	अनिमेष सिंघल पुत्र संजय सिंघल जाति अग्रवाल सा. आबुरोड
	1024 / 303	4.1100 हैक्टर	बारानी सोयम	44X09= 396 वर्गमीटर	ओबू पत्नी सोनाराम जाति रेबारी निवासी वेलार

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2023/288

अनावान सविता सिंघल बनाम ओबू वनीता

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. यह है कि ग्राम वेलार में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	298	57.6000 हैक्टर	बारानी सोयम	412X09= 3708 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	305/937	1.0000 हैक्टर	बारानी सोयम	118X09= 1062 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
3	1023/303	3.6940 हैक्टर	बारानी सोयम	196X09= 1764 वर्गमीटर	अनिमेष सिंघल पुत्र संजय सिंघल जाति अग्रवाल सा. आबुरोड
4	1031/303	0.3696 हैक्टर	बारानी सोयम	12X09= 108 वर्गमीटर	विधि सिंघल पुत्री संजय सिंघल जाति अग्रवाल सा. गोवा
5.	1032/303	0.3696 हैक्टर	बारानी सोयम	35X09= 315 वर्गमीटर	संजय सिंघल पुत्र नानगराम जाति अग्रवाल सा. आबुरोड

4. भू.अ निरीक्षक नाना की जांच रिपोर्टनुसार उक्त रास्ता न्यूनतम दूरी पर स्थित है।
5. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम वेलार की **डी.एल.सी. दर 1,10,042 रू/–** रूपये प्रति हैक्टर है।
6. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर ग्राम वेलार के खसरा नंबर 298, 305/937, 1023/303, 1031/303, 1032/303 से रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। खसरा नंबर 1023/303, 1031/303, 1032/303 के खातेदारों की ओर से वकील श्री छगनलाल प्रजापत ने वकालतनामे पेश किये। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर प्रार्थी को बिना प्रतिकर राशि लिये रास्ता दिये जाने बाबत सहमति व्यक्त की। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 1022/303 रकबा 0.3696 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1736 दिनांक 25.01.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक:प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 1022/303 रकबा 0.3696 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार खसरा नंबर 298 रकबा 57.6000 हैक्टर व खसरा नंबर 305/937 रकबा 1.0000 हैक्टर एवं अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 1023/303 रकबा 3.6940 हैक्टर, खसरा नंबर 1031/303 रकबा 0.3696 हैक्टर व खसरा नंबर 1032/303 रकबा 0.3696 हैक्टर में से **3708+1062+1764+108+315=6957 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2023/268
अनवान सविता सिंघल बनाम ओबू वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 110042/-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
298	57.6000 हैक्टर	412X09= 3708 वर्गमीटर	11	40788X2=81576	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
305/937	1.0000 हैक्टर	118X09= 1062 वर्गमीटर	11	11682X2=23364	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
1023/303	3.6940 हैक्टर	196X09= 1764 वर्गमीटर	11	19404X2=38808	अनिमेष सिंघल पुत्र संजय सिंघल जाति अग्रवाल सा. आबुरोड
1031/303	0.3696 हैक्टर	12X09= 108 वर्गमीटर	11	1188X2=2376	विधि सिंघल पुत्री संजय सिंघल जाति अग्रवाल सा. गोवा
1032/303	0.3696 हैक्टर	35X09= 315 वर्गमीटर	11	3465X2=6930	संजय सिंघल पुत्र नानगराम जाति अग्रवाल सा. आबुरोड

<u>नोटः</u>– खसरा नंबर 1023/303, 1031/303, 1032/303 के खातेदारों द्वारा बिना प्रतिकर राशि लिये रास्ता दिये जाने हेतु सहमति दी है। तहसीलदार बाली अपने स्तर पर इस हेतु तस्दीक करें। यदि खसरा नंबर 1023/303, 1031/303, 1032/303 के खातेदारों द्वारा सहमति नहीं दी गई है तो नियमानुसार राशि अमानत मद में जमा कराने के बाद ही रास्ता दिया जायें।

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि **1,53,054/– (अक्षरे एक लाख त्रेपन हजार चौपन रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश विश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 08-04-2024

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

क्रमांक/कोर्ट/2024/552-556
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्रीमति सविता सिंघल पत्नि अजय सिंघल जाति अग्रवाल निवासी संजय बाबा स्टोर, सानी गांव, माउण्ट आबु जिला सिरोही (राज.) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

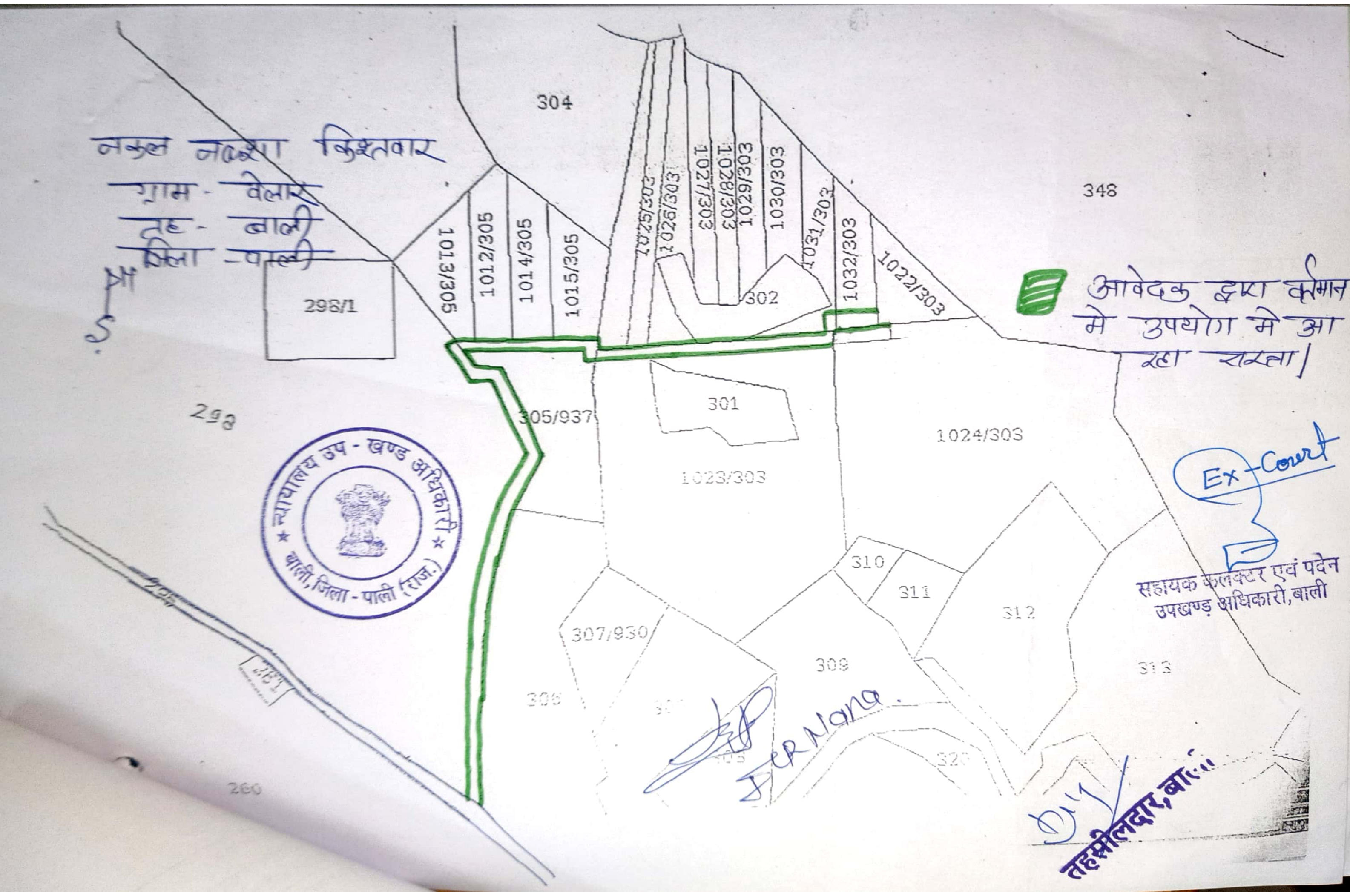

Scanned with CamScanner